न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **Gcms No 2023/343**
दायरा तिथि : 06.01.2023
आदेश तिथि: 30-06-25
प्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. महेन्द्र वैष्णव पुत्र मांगीदास जाति वैष्णव (साद) निवासी दादिया तहसील मारवाड जंक्शन
2. हरीश वैष्णव पुत्र दामोदर दास वैष्णव जाति वैष्णव निवासी सुभाष नगर पाल रोड जोधपुर

–:: आदेश ::– दिनांक : 30-06-25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम मोरीबेडा स्टेशन स्थित भूमि खसरा नंबर 1150 रकबा 0.9000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अकृषि प्रयोजन होटल हेतु प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण ने कोई जवाब पेश नहीं किया। लेकिन अप्रार्थी महेन्द्र वैष्णव ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके अनुसार ग्राम मोरी बेडा के उक्त खसरा नंबर का विभाजन पूर्व में हो चुका है। वर्तमान में अप्रार्थी महेन्द्र वैष्णव की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 1380/1150 रकबा 0.45 हैक्टर है। अप्रार्थी महेन्द्र वैष्णव ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1380/1150 रकबा 0.45 हैक्टर को होटल प्रयोजनार्थ उपयोग मे लेने की प्रकियाधीन है जिस संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा सर्वे भी किया जा चुका है। जिस रिपोर्ट में दिनांक 11.07.2023 में भी किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना माना है। है। इस संबंध में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट में बताया गया कि मोरीबेडा स्टेशन स्थित भूमि खसरा नंबर 1150 रकबा 0.9000 हैक्टर का पूर्व में विभाजन हो गया है जिसके वर्तमान में दो अलग अलग खसरे बने है। जिसके एक खसरा नंबर 1380/1150 महेन्द्र वैष्णव पुत्र मांगीदास कौम वैष्णव की खातेदारी भूमि है जो वर्तमान में उक्त खसरा मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं है एवं दूसरे खसरा नंबर 1393/1381 है जिसका राजस्व रेकर्ड में वाणिज्यिक(होटल एवं रिसॉर्ट) दर्ज है।

प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन स्थित भूमि खसरा नंबर 1150 रकबा 0.9000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदार द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अकृषि प्रयोजन होटल हेतु प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जबकि अप्रार्थी द्वार बहस में दलील दी गई कि उक्त खसरे का विभाजन पूर्व में हो चुका है एवं वर्तमान में किसी प्रकार का अकृषि उपयोग नहीं हो रहा है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**

(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या

(ख) इस आधार कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैं:

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2023/343

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम महेन्द्र वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन स्थित भूमि खसरा नंबर 1150 रकबा 0.9000 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि कृषि भूमि है। पटवारी हल्का, बोया की मौका फर्द रिपोर्ट में बताया गया कि मोरीबेडा स्टेशन स्थित भूमि खसरा नंबर 1150 रकबा 0.9000 हैक्टर का पूर्व में विभाजन हो गया है जिसके वर्तमान में दो अलग अलग खसरे बने है। जिसके एक खसरा नंबर 1380/1150 महेन्द्र वैष्णव पुत्र मांगीदास कौम वैष्णव की खातेदारी भूमि है जो वर्तमान में उक्त खसरा मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं है एवं दूसरे खसरा नंबर 1393/1381 है जिसका राजस्व रेकर्ड में वाणिज्यिक(होटल एवं रिसॉर्ट) दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि के सबंध में खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिससे प्रकरण धारा 177 का बनना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

निर्णय आज दिनांक 30-06-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner